

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 17 अक्टूबर, 2022 आश्विन 25, 1944 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश शासन लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 550 / 91-2022-09-2014 लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प0आ0-628

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश जनिहत गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14—2010-33(100)-2010 टी०सी0—III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या—89 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम-	विभाग का	सेवाएं	पदाभिहित	सेवाओं के	प्रथम	प्रथम	द्वितीय	द्वितीय
संख्या	नाम			लिए नियत			अपीलीय	अपीलीय
				समय-सीमा	अधिकारी	अधिकारी के	अधिकारी	अधिकारी के
						निस्तारण		निस्तारण
		w				हेतु नियत		हेतु नियत
						समय-सीमा		समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		निवेश मित्र सिंगल		07 दिवस	सम्बन्धित	15 दिवस	मण्डलायुक्त	30 दिवस
	यू०पी०	विंडो पोर्टल पर	सेवा हेतु आवेदन		जिला का			
	(अवस्थापना	निवेशक से प्राप्त	प्रस्तुत किया		जिला			
	एवं	विवरण के 7 दिनों	गया है उससे		मजिस्ट्रेट			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	औद्योगिक विकास विभाग)	के भीतर समस्त पृच्छाओं के अनुरोध से सम्बन्धित	सम्बन्धित पदाभिहित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी					

आज्ञा से, के0 रविन्द्र नायक, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 550/XCI-2022-09-2014, dated October 17, 2022:

No. 550/XCI-2022-09-2014

Dated Lucknow, October 17, 2022

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government notification no. 2198/I-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule after entries at serial number 89, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, be column-wise inserted, namely:—

SCHEDULE

Name of the Services Designated Stipulated First Appeal Stipulated Second Stipulated Department Officer time Officer time limits Appellate time limits limits for for disposal Authority for of First services disposal of Appeal Second Officer Appeal Officer 1 2 5 6 7 8 9 90 Invest U.P. Regarding all 7 days Designated District 15 days Divisional 30 Days (Infrastructure queries to be District level Magistrate Commissioner and Industrial sought once Nodal of concerned within 7 days Development Officer of District Department) from the date of concerned receiving details departmental from the investor service for

By order,
K. RAVINDER NAIK,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ६९१ राजपत्र-2022-(1076)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ३ सा० लोक सेवा प्रबन्धन-2022-(1077)-500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

which

application

has been received

on Nivesh Mitra

Single Window

portal